2

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना (म. प्र.)

मुरैना, दिनांक 13/03/2020

!! आदेश !!

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पृ.क्रमांक/932/2020 में दिए गये निर्देशानुसार राज्य सरकार, कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1972 की धारा 5(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि मुरैना जिले में संचालित सभी सिनेमा/वीडियो अनुज्ञप्तिधारी दिनांक 14 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे एवं सिनेमा/वीडियो हॉल को बंद रखेंगे।

उपरोक्त आदेश के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता बरते जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

(प्रियंका दास)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला मुरैना (म. प्र.)

पृ. क्र./आब./मनो/2020/607
मुरैना, दिनांक 13/03/2020

प्रतिलिपि,

1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
3. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आबकारी उप निरीक्षक वृत्त मुरैना/अम्बाह/जौरा/सबलगढ़ की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप सुनिश्चित करें कि प्रभाराधीन सिनेमा/वीडियो को उक्तानुसार अवधि में फिल्म प्रदर्शन/संचालन न हो।
6. संबंधित सिनेमा/वीडियो अनुज्ञप्तिधारी .... की ओर उपरोक्तानुसार आदेश का पालन किया जाकर सिनेमा हॉल में फिल्म प्रदर्शन एवं सिनेमा हॉल बंद रखा जाना सुनिश्चित करें।

(प्रियंका दास)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला मुरैना (म. प्र.)

Scanned with CamScanner